

18.05.2022:—आज यह पत्रावली पेशी में लिगई। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मूल वादपत्र में निर्णय हो गया है। इस कारण उक्त प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। इस कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। अतः प्रार्थना-पत्र मूल वादपत्र में निर्णय होने के कारण कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से काम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर

एवं उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

